न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 21 / 2023
(GCMS 2023/89)(21240486173270)

श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 01 तहसील अनूपगढ़–335701 जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 99835–[illegible])

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया था। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध सूरतगढ क्षेत्र से होने के कारण, लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को हस्तान्तरित किया गया था। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2023 से वांछित सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

श्रीमान जी मैं प्रार्थी उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह वार्ड नं. 01, अनूपगढ का निवासी हूं मेरी पत्नी [illegible] सिंह निवासी सूरतगढ नजदीक 101, [illegible] वार्ड नं. 01, नया वार्ड नं. 45 मे रह–रही है मेरी प[illegible] सुमन ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप को विधवा/विधुर बताकर अपनी माता के साथ जन आधार कार्ड संख्या 5038142511 व रसीद संख्या–9999–V85-Z/00220 व राशन कार्ड संख्याः–109203000088 बनवा लिया है। (उक्त समस्त दस्तावेजो की प्रतियां संलग्न है) मेरी पत्नी सुमन ने अपने आप को विधवा/विधुर बताया है मेरी मृत्यु के जो दस्तावेज सुमन द्वारा जनआधार कार्ड व राशन कार्ड में अपना नाम अपनी माता के साथ जुडवाने के समय पेश किए गये है उक्त समस्त दस्तावेजों कि प्रमाणित प्रतियां सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् 48 घण्टों (अड़तालीस घण्टों) के भीतर मुझ प्रार्थी को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवायें यह कि वांछित सूचना प्रार्थी के जीवन मरण से सम्बन्धित है। जो कि प्रार्थी का अविलम्ब उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक सूमाअ/2023 /465 दिनांक 09.06.2023 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संलग्न प्रार्थी उम्मेद सिंह के अपील प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार है:

प्रार्थी उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह वार्ड नं. 01, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु [illegible] पत्र कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर [illegible] क्रमांकः रीडर/23/सूकाअ/253 दिनांक 10.0[illegible]023 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 14.03.2023 को प्राप्त हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2023/273 दिनांक 20.03.2023 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई गई थी। जिसकी रसीद संलग्न है।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2023/273 दिनांक 20.03.2023 की छायाप्रति पत्र के संलग्न सूचनार्थ सादर प्रेि ात है। अतः अपील निरस्त करने की मेहरबानी फरमावें।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को भी अपने पत्रांक सूकाअ./2023/273 दिनांक 20.03.2023 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

"सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested